| |
|---|
| मुस्तफा अहमद खान<br>बनाम<br>उपल अमर ज्योटी<br>सुरिन व अन्य |

# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

## आदेश–पत्रक

( देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129 )

आदेश पत्रक ..................................से ........................................................................ तक

जिला– राँची, केस का प्रकार–विविद वाद–25/2022–23

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित |
|---|---|---|

20/1/24

## आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा द्वितीय पक्ष के नाम कायम जमाबन्दी को रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया है।

**जमीन का विवरण**

| अंचल/मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| नामकुम/कोयनजारी | 276 | 22 | 67 | 61 डी0 |
| | | 22 | 67 | 61 डी0 |

आवेदक का कहना है कि उपरोक्त भूमि विधिवत तरीके से खरीद कर दखल–कब्जे में है, जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर जमाबन्दी कायम किया गया है। अतः द्वतीय पक्ष की जमाबन्दी रदद करने की कृपा की जाय। इस संबंध में अंचलाधिकारी नामकुम से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी नामकुम के पत्रांक–1903, दिनांक–21.11.2023 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार

*"सर्वे खतियान के अनुसार मौजा कोयनजारी, थाना स0.–276, खाता सं०–22, प्लॉट सं०–67, रकबा–61 डी० ऑनलाईन खतियान के अनुसार जगरनाथ उराँव पे० बुधु उराँव तीन हिस्सा बराबर च तम्बा उराँव वगै० के नाम से दर्ज है। पंजी II के*

✓

अनुसार विवरणी निम्नवत है :–

## जमीन का विवरण

| मौजा | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा | पेज/भो0 | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| रहमत अली वल्द जोभर अली | 22 | 67 | 61 डी0 | I/46 | दा०खा० वाद सं0 25R27/1960-61 |
| आनन्दी सुरीन, पति–सामुएल सुरीन | 22 | 67 | 61 डी0 | I/76 | दा०खा० वाद सं0 30 R27/1977-78 |

अंचल अमीन के साथ सयुक्त जाँच के क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि रहमत अली के वशजों द्वारा चारदिवारी का निर्माण एवं एक कमरा, बोरिंग तथा चारदिवारी के साथ एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

अभिलेख में संलग्न आवेदक का आवेदन एवं अंचलाधिकारी नामकुम का प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अतः यदि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर दखल निर्विवाद हो, आवेदित भूमि के संबंध में किसी समक्ष न्यायालय द्वारा प्रतिकूल/स्थगन आदेश पारित नही किया गया हो एवम आवेदित भूमि सरकारी प्रायोजन हेतु अर्जित न हो, न ही निकट भविष्य में भू–अर्जन का प्रस्ताव हो, तो अंचलाधिकारी नामकुम आवेदक के आवेदन के आलोक में जमाबन्दी निरस्तीकारण हेतु विधि–सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

लेखापित एवं संशोधित।

20/1/24
अपर समाहर्त्ता
राँची।

20/1/24
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 11:57:57 +05:30
Location: 192.168.2.175